Advertisement of the notice of the NCLT convened meeting of Equity Shareholders of the Company in Business Standard (English) dated September 27, 2017

NIIT TECHNOLOGIES LIMITED
CIN: L65993DL1992PLC048753
Registered Office: 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi 110 019
Tel No.: 011-41675000 Fax No. 011-41407120
Email: investors@niit-tech.com
Website: www.niit-tech.com

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) – 83(ND) / 2017

IN THE MATTER OF:

SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS, IF ANY, OF THE COMPANIES ACT, 2013, READ WITH THE RULES FRAMED THEREUNDER

AND IN THE MATTER OF:

NIIT TECHNOLOGIES LIMITED [CIN NO L65993DL1992PLC048753], A COMPANY INCORPORATED UNDER THE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT 8, BALAJI ESTATE, FIRST FLOOR, GURU RAVI DAS MARG, KALKAJI, NEW DELHI-110019; PAN: AAACN0332P ; EMAIL: INVESTORS@NIIT-TECH.COM, WEBSITE: WWW.NIIT-TECH.COM, TEL NO. 011-41675000, FAX NO. 011-41407120

AND IN THE MATTER OF:

SCHEME OF AMALGAMATION BETWEEN PIPL BUSINESS ADVISORS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED **("AMALGAMATING COMPANY 1")** AND GSPL ADVISORY SERVICES AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED **("AMALGAMATING COMPANY 2")** AND NIIT TECHNOLOGIES LIMITED **("AMALGAMATED COMPANY"/"COMPANY")** AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF NIIT TECHNOLOGIES LIMITED ("THE COMPANY")

NOTICE is hereby given that by an Order dated September 22, 2017, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench at New Delhi **("Tribunal")** has directed that a meeting of the Equity Shareholders of the Company **("Meeting")** be held at 10.00 A.M. on Saturday, the 28th day of October 2017 at The Ocean Pearl Retreat, Chattarpur Mandir Road, Satbari, New Delhi – 110 074, for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the Scheme of Amalgamation between PIPL Business Advisors and Investment Private Limited **("Amalgamating Company 1")** and GSPL Advisory Services and Investment Private Limited **("Amalgamating Company 2")** and NIIT Technologies Limited **("Amalgamated Company"/"Company")** and their respective Shareholders and Creditors **("Scheme")**.

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that a meeting of the Equity Shareholders of the Company will be held at 10.00 a.m. on Saturday, the 28th day of October 2017 at The Ocean Pearl Retreat, Chattarpur Mandir Road, Satbari, New Delhi – 110074, when the Equity Shareholders are requested to attend.

Copy of the Scheme and the Explanatory Statement under Section 230 read with Section 102 of the Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder **("Act")** can be obtained free of charge from the registered office of the Company situated at 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi 110019 **("Registered Office")** or from the office of the Company's Advocate, M/s Shardul Amarchand Mangaldas & Co. at Amarchand Towers, 216, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi - 110020.

Equity Shareholders entitled to attend and vote at the Meeting, may vote in person or by proxy, provided that the proxy in the prescribed form is deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the commencement of the Meeting. Form of proxy can also be obtained from the Registered Office of the Company.

The Tribunal has appointed Mr. Krishnendu Datta, Advocate to be the Chairperson and Mr. N.P.S Chawla, Advocate, to be the alternate Chairperson of the said Meeting.

The above Scheme, if approved by the Equity Shareholders, shall be subject to the subsequent approval by the Tribunal.

The Company has on September 26, 2017 completed the dispatch of the Notice along with the Explanatory Statement under Section 230 read with Section 102 of the Act through (a) electronic mail to the Equity Shareholders whose e-mail ID's are registered in the Depository records and (b) dispatch of the same in physical mode to other Equity Shareholders (i.e. whose email ID's are not registered) to all the Equity Shareholders of the Company whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners as on June 16, 2017 **("Cut Off Date")**.

In compliance with the provisions of Section 230, Sections 108 and Section 110 of the Act read with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable Secretarial Standards, the Company has also provided the facility to the Equity Shareholders to cast their votes either by way of postal ballot or through remote e-voting facility as managed by National Securities Depository Limited **("NSDL")**, prior to the Meeting.

The voting rights of the Equity Shareholders shall be in proportion to their equity shareholding in the Company held as on the close of business hours of Cut-off Date.

Only those Equity Shareholders whose names are appearing in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut Off Date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as postal ballot and voting at the said Meeting.

Equity Shareholders can opt only for one mode of voting. If the Equity Shareholders have opted for remote e-voting, then they shall not vote by postal ballot and vice-versa. However, in case Equity Shareholders cast their vote both through postal ballot and remote e-voting, then voting through remote e-voting shall prevail and voting done by postal ballot shall be treated as invalid.

It is clarified that votes may be cast by Equity Shareholders either by postal ballot or remote e-voting and casting of votes by postal ballot or remote e-voting, as the case may be does not disentitle them from attending the Meeting. However, Equity Shareholders after exercising their right to vote through postal ballot or remote e-voting, as the case may be shall not be allowed to vote again at the Meeting.

The voting process through postal ballot form as well as remote e-voting shall commence from 10:00 A.M. (Server Time) on Thursday, September 28, 2017 till 5:00 P.M. (Server Time) on Friday, October 27, 2017. Thereafter the remote e-voting facility shall be disabled. The remote e-voting facility provided by the NSDL is available to the Equity Shareholders at the link www.evoting.nsdl.com which would enable the Equity Shareholders to cast their votes electronically, instead of dispatching postal ballot form. Once the vote on the resolution is cast by the Equity Shareholders by remote e-voting, they shall not be allowed to change it subsequently.

Equity Shareholders who have not received the Notice of the Meeting or postal ballot form or wish to receive the same physically may apply to the Company Secretary of the Company. The Notice along with the Explanatory Statement and postal ballot form is also available on the Company's website at www.niit-tech.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Equity Shareholders desiring to exercise vote by way of postal ballot are requested to note that the duly signed and filled postal ballot form indicating their assent or dissent, as the case may be should reach to the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. on Friday, October 27, 2017. Postal ballot form received after this date and time, will be strictly treated as if the reply from such Equity Shareholder(s) has not been received.

As directed by the Tribunal, Mr. Dinesh Chandra Arora, Company Secretary shall act as Scrutinizer to scrutinize votes cast either electronically or on postal ballot form or on Poll at the Meeting and submit a report on votes cast to the Chairperson of the Meeting.

The result of the voting shall be announced by the Chairperson of the Meeting on or before 9:00 a.m. on October 30, 2017, upon receipt of Scrutinizer's report and same shall be displayed on the website of the Company at www.niit-tech.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In case of any query or grievances connected with the voting by postal ballot or remote e-voting, Equity Shareholders may send their grievances or queries to Mr. Lalit Kumar Sharma, Company Secretary & Legal Counsel, at registered office address at 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019 at email id investors@niit-tech.com or call on Ph +91(11)41675000.

In case of any query pertaining to remote e-voting, please visit Help & FAQ's section available on www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or contact Mr. Rajiv Ranjan (Manager)/Mr. Amit Vishal (Senior Manager), the officials of NSDL at 022-24994738/4360

Dated this 26th day of September, 2017.

Mr. N.P.S. Chawla
(Alternate Chairperson appointed for the meeting)

एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
सीआईएन : एल65993डीएल1992पीएलसी048753
पंजी. कार्यालय : 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली - 110019
फोन : 011-41675000, **फैक्स :** 011-41407120
इ-मेल: investors@niit-tech.com
वेबसाइट: www.niit-tech.com

राष्ट्रीय कम्पनी विधिक अधिकरण
प्रधान पीठ नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए)-83(एनडी)/2017

इसके मामले में :
कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अन्तर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों,
तथा इसके मामले में :
एनआइआइटी टेक्नॉलाजिज लिमिटेड (सीआइएन सं. एल65993डीएल1992पीएलसी048753), एक कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 में है और जिसका
पैन : एएएसीएन0332पी, इ–मेल : investors@niit-tech.com, वेबसाइट : www.niit-tech.com, दूरभाष : 011–41675000, फैक्स सं.: 011–41407120 है।
तथा इसके मामले में :
पीआइपीएल बिजनेस एडवाइजर्स एंड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (**''एकीकरण करनेवाली कम्पनी 1''**) तथा जीएसपीएल एडवाइजरी सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (**''एकीकरण करनेवाली कम्पनी 2''**) तथा एनआइआइटी टेक्नॉलाजिज लिमिटेड (**''एकीकृत कम्पनी''/''कम्पनी''**) और उसके सम्बन्धित अंशधारकों तथा लेनदारों के मध्य एकीकरण की योजना
एनआइआइटी टेक्नॉलाजिज लिमिटेड (''कम्पनी'') के समता अंशधारकों की बैठक आयोजन करने की सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधिक अधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली (**''अधिकरण''**) ने एक आदेश दिनांक 22 सितंबर, 2017 द्वारा निर्देश दिया है कि कम्पनी के समता अंशधारकों की एक बैठक (**''बैठक''**) का आयोजन शनिवार 28 अक्टूबर, 2017 को प्रातः 10.00 बजे द ओशिएन पर्ल रिट्रीट, छतरपुर मन्दिर मार्ग, सतबाड़ी, नई दिल्ली–110 074 में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पीआइपीएल बिजनेस एडवाइजर्स एंड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (**''एकीकरण करनेवाली कम्पनी 1''**) तथा जीएसपीएल एडवाइजरी सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (**''एकीकरण करनेवाली कम्पनी 2''**) तथा एनआइआइटी टेक्नॉलाजिज लिमिटेड (**''एकीकृत कम्पनी''/''कम्पनी''**) और उसके सम्बन्धित अंशधारकों तथा लेनदारों के मध्य एकीकरण की योजना (**''योजना''**) पर विचार करना, तथा यदि उचित समझा गया, तो संशोधनों के साथ अथवा इनके बिना उसका अनुमोदन करना होगा।

उक्त आदेश का तथा उसमें निर्देशितानुसार निबंधों के अनुपालन के अन्तर्गत आगे यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के समता अंशधारकों की एक बैठक का आयोजन शनिवार 28 अक्टूबर, 2017 को प्रातः 10.00 बजे द ओशिएन पर्ल रिट्रीट, छतरपुर मन्दिर मार्ग, सतबाड़ी, नई दिल्ली–110 074 में किया जाएगा, जब भी समता अंशधारकों को उपस्थित होने का अनुरोध किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अन्तर्गत (**''अधिनियम''**) विरचित नियमावली के साथ पठित धारा 102 के साथ पठित धारा 230 के अन्तर्गत योजना तथा व्याख्यात्मक विवरण की प्रति 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 (''पंजीकृत कार्यालय'') में स्थित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा कम्पनी के अधिवक्ता के कार्यालय मै. शार्दुल अमरचन्द मंगलदास एंड कम्पनी, अमरचन्द टॉवर्स, 216, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज–।।।, नई दिल्ली–110020 से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

ऐसे समता अंशधारक जिन्हें बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने का अधिकार है, वे व्यक्तिगत रूप में अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर बैठक प्रारम्भ होने के न्यूनतम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करनी होगी। प्रतिनिधि प्रपत्र भी कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अधिकरण ने उक्त बैठक के लिए श्री कृष्णनेन्दू दत्ता, अधिवक्ता को अध्यक्ष तथा श्री एन.पी.एस. चावला, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

उपरोक्त योजना, यदि समता अंशधारकों द्वारा अनुमोदित की गई है, अधिकरण द्वारा उत्तरवर्ती अनुमोदनाधीन होगी।

कम्पनी ने 26 सितंबर, 2016 को अधिनियम की धारा 102 के साथ पठित धारा 230 के अन्तर्गत व्याख्यात्मक विवरण के साथ सूचना का संपूर्ण प्रेषण उन समता अंशधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से कर दिया है, जिनकी इ–मेल आइडी डिपॉजिटरी अभिलेखों में पंजीकृत हैं तथा सूचना का प्रेषण वास्तविक रूप में भी कम्पनी के उन अन्य समता अंशधारकों (अर्थात् जिनकी इ–मेल आइडी पंजीकृत नहीं है) समस्त समता अंशधारकों को कर दिया गया है, जिनके नाम 16 जून, 2017 (**''कट ऑफ तिथि''**) के अनुसार सदस्यों/लाभकारी स्वामियों की पंजिका में प्रविष्ट हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230, 108 तथा धारा 110 के प्रावधानों और लागू साचिविक मानकों के अनुपालन में, कम्पनी ने अपने अंशधारकों को यह सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है कि वे चाहें तो बैठक से पूर्व, अपना मतदान डाकीय मतपत्र के माध्यम से अथवा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') दूरस्थ इ–मतदान सुविधा द्वारा कर सकते हैं।

समता अंशधारकों के मतदान अधिकार व्यवसाय समापन कट–ऑफ तिथि के अनुसार कम्पनी में धारित उनके समता अंशधारण के अनुपात में होगा।

केवल उन समता अंशधारकों को ही दूरस्थ इ–मतदान सुविधा के साथ–साथ डाकीय मतपत्र द्वारा मतदान करने तथा उक्त बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा, जिनके नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में प्रविष्ट हैं।

समता अंशधारक मतदान का केवल एक माध्यम का चयन कर सकते हैं। यदि समता अंशधारकों ने दूरस्थ इ–मतदान का विकल्प चुना है तो वे डाकीय मतपत्र द्वारा मतदान नहीं कर सकेंगे तथा इसी प्रकार यदि उन्होंने डाकीय मतपत्र से मतदान करने की सुविधा का विकल्प चुना है तो वे दूरस्थ इ–मतदान सुविधा से मतदान नहीं कर सकते। हालांकि, यदि समता अंशधारक दोनों माध्यमों डाकीय मतपत्र तथा दूरस्थ इ–मतदान के माध्यम से अपना मतदान करते हैं, तो दूरस्थ इ–मतदान के माध्यम से डाले जानेवाले मत ही प्रभावी होंगे और डाकीय मतपत्र द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि समता अंशधारकों द्वारा या तो डाकीय मतपत्र द्वारा अथवा दूरस्थ इ–मतदान के माध्यम से ही मतदान किया जा सकता है तथा डाकीय मतपत्र अथवा दूरस्थ इ–मतदान द्वारा मतदान में से किसी भी विधि द्वारा डाला गया मतदान उन्हें बैठक में उपस्थित होने से नहीं रोक सकता। हालांकि, डाकीय मतपत्र के माध्यम से अथवा दूरस्थ इ–मतदान द्वारा अपना मत डालने के अधिकार का प्रयोग करने के उपरान्त समता अंशधारकों को, जैसा भी मामला हो, बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

डाकीय मतपत्र के साथ–साथ दूरस्थ इ–मतदान के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का प्रारम्भ गुरुवार 28 सितंबर, 2017 को प्रातः 10.00 बजे (सर्वर टाइम) होगा तथा समापन शुक्रवार 27 अक्टूबर, 2017 को सायं 5.00 बजे (सर्वर टाइम) होगा। तत्पश्चात् दूरस्थ इ–मतदान सुविधा का अयोग्य कर दिया जाएगा। एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई दूरस्थ इ–मतदान सुविधा समता अंशधारकों हेतु लिंक www.evoting.nsdl.com पर मौजूद है, जिससे समता अंशधारक डाकीय मतपत्र के रूप में अपना मत प्रेषण करने के बजाय, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत डाल पाने में समर्थ होंगे। यदि समता अंशधारकों द्वारा संकल्प पर दूरस्थ इ–मतदान के माध्यम से एक बार मतदान कर दिया जाता है, तो उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

ऐसे समता अंशधारक जिन्हें बैठक की सूचना अथवा डाकीय मतपत्र प्राप्त नहीं हुए अथवा जो इन्हें व्यक्तिगत रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस बाबत कम्पनी के सचिव को अनुरोध कर सकते हैं। व्याख्यात्मक विवरण के साथ सूचना तथा डाकीय मतपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.niit-tech.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

ऐसे समता अंशधारक जो डाकीय मतपत्र के माध्यम से अपना मत डालना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे यह बात ध्यान रखें कि उनकी सहमति अथवा असहमति का उल्लेख करता विधिवत हस्ताक्षरित तथा भरा गया डाकीय मतपत्र, जैसा भी मामला हो, जांचकर्ता के पास अधिकतम शुक्रवार 27 अक्टूबर, 2017 को सायं 5.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त किए गए डाकीय मतपत्रें पर कठोरतापूर्वक यही विचार किया जाएगा कि इनको भेजनेवाले समता अंशधारकों से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अधिकरण के आदेशानुसार श्री दिनेश चन्द्र अरोड़ा, कम्पनी सचिव यह जांच करने के लिए जांचकर्ता होंगे कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया है अथवा डाकीय मतपत्र द्वारा किया गया है अथवा बैठक में मतदान किया गया है तथा वे मतदान के प्रकार पर पर एक प्रतिवेदन बैठक के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

मतदान के परिणाम की घोषणा बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जांचकर्ता के प्रतिवेदन की प्राप्ति के उपरान्त, 30 अक्टूबर, 2017 को प्रातः 09.00 बजे अथवा इससे पूर्व की जाएगी तथा घोषणा का प्रदर्शन कम्पनी की वेबसाइट www.niit-tech.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी किया जाएगा।

डाकीय मतपत्र अथवा दूरस्थ इ–मतदान द्वारा मतदान किए जाने से सम्बद्ध किसी भी पूछताछ अथवा शिकायत की स्थिति में, समता अंशधारक अपनी शिकायतें अथवा प्रश्न श्री ललित कुमार शर्मा, कम्पनी सचिव तथा विधिक परामर्शदाता को पंजीकृत कार्यालय 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 को भेज सकते हैं अथवा उन्हें investors@niit-tech.com पर इ–मेल कर सकते हैं या उनसे दूरभाष 91(11)41675000 पर बात कर सकते हैं।

दूरस्थ इ–मतदान से सम्बन्धित किसी पूछताछ की स्थिति में कृपया www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध सहायता एवं एफएक्यू सेक्शन देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा श्री राजीव रंजन (प्रबन्धक)/श्री अमित विशाल (वरिष्ठ प्रबन्धक), एनएसडीएल के पदाधिकारीगण, को 022-24994738/4360 पर सम्पर्क करें।

श्री एन.पी.एस. चावला
(बैठक हेतु नियुक्त वैकल्पिक अध्यक्ष)

दिनांक : 26 सितंबर, 2017